

रामजी राय एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

24 अगस्त, 2006

[श्री एस.बी. सिन्हा एवं श्री दलवीर भंडारी, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860:

धारा 34 - सामान्य आशय - उसकी अग्रसरता में - वैयक्तिक प्रकट कृत्य - उनका सटीक अभिनिर्धारण - हत्या - मृतक और उसके भाई को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस थे, जबरन एक नाव पर बैठाया गया और नाव को स्वतंत्र रूप से चलने दिया गया - मृतक पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया और मृत शरीर को नाव में बहता चला गया - मृत शरीर पाँच दिन बाद बरामद हुआ - विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 302/34 एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की - शुद्धता - अभिनिर्धारित: इस तरह के वाद में प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए सटीक प्रकट कृत्यों का अभिनिर्धारण करना संभव नहीं है - अतः सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 का आह्वान न्यायोचित है।

आपराधिक विचारण:

हत्या - अपराध का मूल तत्व - मृत शरीर - बरामदगी की - जरूरत - अभिनिर्धारित: मृत शरीर की बरामदगी सावधानी का नियम है, विधि का नहीं - यदि सशक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य विद्यमान हो, तो मृत शरीर की अनुपस्थिति में भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है।

हत्या - मृत्यु का समय - उसका अनिर्धारण - क्या अभियोजन के वाद के लिए घातक है - अभिनिर्धारित: चिकित्सा विज्ञान इतनी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है कि मृत्यु के सटीक समय का अभिनिर्धारण कर सके - अतः यह अभियोजन के वाद के लिए घातक नहीं है।

साक्षीगण - स्वतंत्र साक्षी - उनकी अपरीक्षा - प्रभाव - अभिनिर्धारित: सामान्यतः अभियोजन को उन सभी साक्षियों की परीक्षा करनी चाहिए जिनके नाम आरोप पत्र में प्रकट किए गए हों - किंतु यह सार्वभौमिक प्रयोग का नियम नहीं है - साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं।

अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता-अभियुक्त, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस थे, ने मृतक और उसके भाई (अभियोजन साक्षी-3) को जबरन एक नाव पर बैठाया और नाव को स्वतंत्र रूप से चलने दिया। जब नाव कुछ दूरी तय कर चुकी, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर हमला करना शुरू किया। अभियोजन साक्षी-3 नाव से कूद गया और सहायता के लिए चिल्लाते और रोते हुए तैरने लगा। मृतक की मृत्यु हमले के परिणामस्वरूप हुई और उसके मृत शरीर नाव द्वारा बहता चला गया। मृत शरीर पाँच दिन बाद गाँव के चौकीदार (अभियोजन साक्षी-4) द्वारा बरामद किया गया, जो बचपन से मृतक को जानता था। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक के अनुसार, मुलायम अंगों को मछलियों ने खा लिया था। चिकित्सक ने आगे मत व्यक्त किया कि मृत्यु के पश्चात बीती अवधि का आकलन करना कठिन था। किंतु उनके अनुसार, यह लगभग 10 दिन रहा होगा।

विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 सहपठित धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। अतः यह अपील।

अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि शव परीक्षण प्रतिवेदन को दृष्टि में रखते हुए जिसमें स्पष्टतः दिखाया गया था कि केवल हड्डियाँ दृश्यमान थीं, मृत शरीर की पहचान नहीं की जा सकती थी; कि कुछ स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई जिसके कारण अभियुक्त व्यक्तियों को गंभीर क्षति हुई; कि शव परीक्षण शल्यचिकित्सक ने मत व्यक्त किया था कि मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 10 दिन पूर्व हुई होगी और इसलिए अभियोजन का वाद अविश्वसनीय होना चाहिए; तथा कि अभियुक्त व्यक्तियों के वैयक्तिक प्रकट कृत्यों को इंगित नहीं किया गया था।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह अब एक सुस्थापित विधि है कि अपराध के मूल तत्व को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। मृत शरीर की बरामदगी सावधानी का नियम है, विधि का नहीं। यदि सशक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य विद्यमान हो, तो मृत शरीर की अनुपस्थिति में भी दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जा सकता है। [248-ड, च]

*रामा नंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*, [1981] 1 एस.सी.सी. 511 तथा *राम गुलाम चौधरी बनाम बिहार राज्य*, [2001] 8 एस.सी.सी. 311, अवलंबित।

2. इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो आवश्यक था वह अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में दोष का निष्कर्ष निकालना था। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ मृत शरीर की पहचान नहीं की जा सकती थी। अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई थी। [249-क]

3.1. यह सत्य है कि सामान्यतः अभियोजन को उन सभी साक्षियों की परीक्षा करनी चाहिए जिनके नाम आरोप पत्र में प्रकट किए गए हों; किंतु इसे सार्वभौमिक प्रयोग का नियम नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वाद पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। [249-ग]

3.2. यह अब सुस्थापित है कि अभियोजन के वाद को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक है वह साक्ष्य की मात्रा नहीं अपितु गुणवत्ता है। न्यायालय समाज में मूल्य प्रणाली में हुए परिवर्तनों की अनदेखी नहीं कर सकता। जब कोई अपराध भूमि विवाद के कारण किसी गाँव में कारित होता है, तो स्वतंत्र साक्षी आगे नहीं आते। [249-घ]

*शीलम रमेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*, [1999] 8 एस.सी.सी. 369, *पोहलू बनाम हरियाणा राज्य*, [2005] 10 एस.सी.सी. 196, *बलराम सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [2003] 11 एस.सी.सी. 286 तथा *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह*, [1988] अनुपूरक एस.सी.सी. 686, अवलंबित।

*लक्ष्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, [2002] 7 एस.सी.सी. 198, संदर्भित।

*सहज राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, [1973] 1 एस.सी.सी. 490 तथा *हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य*, [1954] एस.सी.आर. 475, अप्रयोज्य अभिनिर्धारित।

3.3. तथापि, इस वाद में, अभियोजन द्वारा परीक्षित कुछ साक्षी स्वतंत्र हैं। सभी साक्षियों का साक्ष्य कमोबेश सुसंगत है। उनकी परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कुछ भी इंगित नहीं किया गया। इसलिए सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उक्त साक्षियों की परिसाक्ष्य पर निर्भर करने में कोई भूल की। [252-ग, घ]

4. चिकित्सा साक्ष्य ने इतनी परिपूर्णता प्राप्त नहीं की है कि किसी चिकित्सा व्यवसायी को मृत्यु के सटीक समय के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन करने में समर्थ बना सके। इस तरह के वाद में, मृत्यु के सटीक समय का अभिनिर्धारण करना कठिन था। शव परीक्षण शल्यचिकित्सक ने शव परीक्षण की तिथि और मृत्यु की संभावित तिथि के बीच अनुमानित समयांतर के बारे में बताया। उन्होंने अपनी राय पर पहुँचने का आधार स्पष्ट नहीं किया। [252-च]

*रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) स्केल 452, अवलंबित।*

*मोदी की चिकित्सा न्यायशास्त्र, 22 वाँ संस्करण, संदर्भित।*

5.1. अपीलकर्ता एक समूह में आए। उनमें से कुछ ने अपने हाथों में हथियार लेकर मृतक पर हमला करना शुरू किया। इस तरह के वाद में, प्रथम सूचक के लिए यह लगभग असंभव था कि वह प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए सटीक प्रकट कृत्यों का अभिनिर्धारण कर सके। [253-ड, च]

5.2. इसलिए दंड संहिता, 1860 की धारा 34 इस तरह के वाद में स्पष्टतः आकृष्ट होती है। [253-G]

*बिष्णा उर्फ भिस्वादेब महतो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [2005] 12 एस.सी.सी. 657, अवलंबित।*

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1621/2005।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 24.6.2005 के आपराधिक अपील सं. 347/1987 में पारित निर्णय/आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से पी.एस. मिश्रा, ध्रुव कुमार झा, तथागत हर्ष वर्धन, उपेन्द्र मिश्रा, रवि चंद्र प्रकाश एवं मनु शंकर मिश्रा।

उत्तरदाता की ओर से कीर्ति सिन्हा (गोपाल सिंह के लिए)।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त किया गया

**न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा** अपीलकर्तागण, भरत राय एवं गनेशी राय (जो अब मृत हैं) सहित, एक बैजनाथ सिंह की जानबूझकर मृत्यु कारित करने के अपराध एवं उसके मृत शरीर को गायब करने के लिए अभियोजित किए गए थे।

रजनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-3), जो बैजनाथ सिंह (मृतक) के भाई हैं, द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें आरोप लगाया गया कि 21.8.1980 को दोपहर लगभग 4 बजे वह और मृतक दोनों ग्राम दुधियान के उत्तर में एक ढाब के किनारे स्थित अपने खेत में थे, जहाँ वे मसूरिया फसल काटने गए थे। अपीलकर्तागण, भरत राय और गनेशी राय सहित, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस थे, उन्हें जबरन नाव पर बैठाकर ढाब की ओर ले गए और नाव को स्वतंत्र रूप से चलने दिया। जब नाव कुछ दूरी तय कर चुकी, तो उन्होंने मृतक पर हमला करना शुरू किया। हालांकि वह अवसर पाकर नाव से कूद गया और ऊँची जमीन की ओर तैरने लगा तथा सहायता के लिए चिल्लाने और रोने लगा। बैजनाथ सिंह की मृत्यु हमले के परिणामस्वरूप हुई और उसके मृत शरीर नाव में बहती चली गई। कहा गया कि इस घटना को सत्यानंद सिंह (अभियोजन साक्षी-1), कमेश्वर सिंह (अभियोजन साक्षी-2) एवं पंचम सिंह (अभियोजन साक्षी-5) ने देखा था। यह कहा गया कि बाढ़ की स्थिति एवं रात होने के कारण रात में प्रतिवेदन दर्ज नहीं कराया जा सका। उक्त अपराध के कारित करने के प्रयोजन के संबंध में, सूचक ने आरोप लगाया कि मृतक के पास अभियुक्त के घर के पास एक भूखंड था और वे बार-बार उस भूमि पर उगाई गई मकई तोड़ लेते और मसूरिया फसल काट ले जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप पक्षकार एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे। कथित रूप से, बैजनाथ सिंह ने अभियुक्तों को उसकी मसूरिया फसल काटते हुए पकड़ा था जिसके लिए उसने प्रतिक्रियास्वरूप उन्हें गालियाँ दी थीं। अभियुक्त व्यक्ति एक ही परिवार के बताए गए हैं और वे चोरी एवं डकैती कारित करने में संलग्न रहते थे। बैजनाथ सिंह की हत्या उक्त घटना के प्रतिशोध में की गई बताई गई। प्राथमिकी में दो अभियुक्तों के बारे में कहा गया था कि वे देशी पिस्तौल ले जा रहे थे जबकि शेष गंडासे, लाठी और भाले से लैस थे। मृत शरीर पाँच दिन बाद अर्थात् 26.8.1980 को बरामद हुआ। मृत शरीर सर्वप्रथम गाँव के चौकीदार (अभियोजन साक्षी-4) द्वारा देखा गया। उसने सूचक को इसके बारे में रिपोर्ट किया। वह आया और उसने मृत शरीर की पहचान भी की। सभी अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की

धारा 302/34 सहपठित धारा 201 के अंतर्गत अपराध को कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया और दिनांक 31.7.1987 के निर्णय एवं आदेश द्वारा धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत पाँच वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। अभियुक्तों द्वारा इसके विरुद्ध की गई अपील उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के द्वारा खारिज की जा चुकी है।

श्री पी.एस. मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की कि मृत शरीर की पहचान मृतक बैजनाथ सिंह के रूप में की गई थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शव परीक्षण प्रतिवेदन को दृष्टि में रखते हुए जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि केवल हड्डियाँ दृश्यमान थीं, उसकी पहचान नहीं की जा सकती थी और उस दृष्टिकोण से अभियोजन का वाद सिद्ध हुआ नहीं कहा जा सकता।

यह आगे तर्क दिया गया कि कुछ स्वतंत्र साक्षी जो अभियोजन के वाद पर प्रकाश डाल सकते थे, उन्हें जानबूझकर अभियोजन द्वारा रोका गया जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को गंभीर क्षति हुई। श्री मिश्रा यह तर्क देंगे कि वाद के तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए अभियोजन द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षियों की अपरीक्षा अनिवार्य थी। इस संबंध में *सहज राम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, [1973] 1 एस.सी.सी. 490 तथा *हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य*, [1954] एस.सी.आर. 475 पर अवलंब लिया गया है।

यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की क्योंकि वह इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि मृतक की आपराधिक पृष्ठभूमि थी और इस प्रकार उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा मृत्यु तक पहुँचाया जा सकता था। यह प्रतिवाद किया गया कि अपीलकर्ताओं को शत्रुता के कारण फँसाया गया है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षियों की गवाहियों में असंगति पर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

विचार नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रत्येक अपीलकर्ता के भाग पर वैयक्तिक प्रकट कृत्यों पर विचार करना चाहिए था।

सुश्री कीर्ति सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, जो राज्य की ओर से उपस्थित हुईं, ने इसके विपरीत तर्क दिया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभियोजन साक्षी 1, 2, 3 एवं 5 के साक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अपीलकर्ताओं को यहाँ उचित रूप से दोषसिद्ध किया।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने निर्णय में *साथ-साथ* अभिनिर्धारित किया:

- (i) मृतक के शरीर पर कारित उपहतियाँ प्रकृति में मानव वध संबंधी थीं।
- (ii) अभियोजन यह दर्शाने में समर्थ रहा है कि बैजनाथ सिंह के मृत शरीर की पहचान की गई थी।
- (iii) यद्यपि अभियोजन साक्षी-3 अभियुक्त के प्रति शत्रुभाव रखता था, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलकर्ताओं को मिथ्या रूप से फँसाया।
- (iv) अभियोजन ने आरोप पत्र में नामित साक्षियों की अपरीक्षा के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किए हैं।
- (v) अभियोजन साक्षियों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सुसंगत होने के कारण, अभियोजन का वाद सिद्ध हो चुका है।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्न अभिमत व्यक्त किया:

- (i) अभियोजन अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य लाने में समर्थ रहा है कि हमलावर नाव पर आए, मृतक पर हमला किया और उसके मृत शरीर को ले गए।
- (ii) अभियोजन साक्षी मृतक के निकट संबंधी होने के कारण, उनके लिए शव की पहचान करना कठिन नहीं था।

(iii) प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रकृति में सुसंगत होने के कारण, अभियोजन अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में समर्थ रहा है।

अभियोजन साक्षी-3 सूचक है। प्राथमिकी शीघ्रतम संभव अवसर पर दर्ज कराई गई। सूचक ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने न केवल मृतक पर हमला होते देखा, उसने पहले अवसर पर नाव से छलाँग लगाई, ढाब में तैरा और किसी प्रकार अपीलकर्ताओं की पकड़ से बच निकला। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अकीलपुर गया था, जो एक चौकी था, किंतु वहाँ उस समय भारसाधक अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इसके बाद वह अपने घर लौट आया और अगली सुबह नाव पर दानापुर पुलिस थाने आया।

यह विवादित नहीं है कि बैजनाथ सिंह का मृत शरीर सर्वप्रथम गंगा पासवान द्वारा देखा गया, जो एक चौकीदार था। वह उसी गाँव का निवासी भी था। वह मृतक को उसके बचपन से जानता था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक के माथे की दाईं ओर सफेद बालों का एक गुच्छा था। एक पैसे का एक सिक्का भी उसकी कमर से बँधा हुआ था। उसकी मोटी मूँछें थीं और वे बैजनाथ सिंह की मूँछों से मिलती-जुलती थीं। उसने मृत शरीर के चेहरे और अन्य विशेषताओं को देखकर उसकी पहचान की। मृत शरीर मौजा बनवारीचक में स्थित मकई के एक खेत में पाया गया। यह घटना के स्थान से लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी पर था। उनके अनुसार, उस खेत के दक्षिण से 3 कि.मी. की दूरी पर गंगा नदी बहती है और उस खेत के पश्चिम से लगभग 20 कि.मी. पर। जहाँ मृत शरीर पाया गया वहाँ से पूर्व में 1.5 मील की दूरी पर गंगा नदी बहती है। वह स्थान उक्त नदी से पूरी तरह घिरा हुआ है। उनके अनुसार, खेत में फसल भी बोई गई थी।

मृत शरीर राम स्वरूप सिंह ने भी देखा। सूचक (अभियोजन साक्षी-3) को इसके बारे में सूचित किया गया। वह भी घटनास्थल पर गया और मृत शरीर की पहचान अपने भाई के रूप में की। पुलिस प्राधिकारियों को भी इस संबंध में सूचित किया गया।

अभियोजन द्वारा परीक्षित एक अन्य साक्षी सत्यानंद सिंह (अभियोजन साक्षी-1) था। वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी था। वह एक मचान पर बैठा हुआ था। उसने न केवल अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लेते हुए बैजनाथ सिंह पर हमला करना बताया, बल्कि यह भी कहा कि उसने सूचक को अभियुक्त की पकड़ से भागते हुए देखा।

अभियोजन साक्षी-2 एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कमेश्वर सिंह है। वह भी घटना के समय अपने मकई के खेत में था। उसने अभियोजन साक्षी 1 एवं 3 के कथनों की पुष्टि की। वह पुनः एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने मृत शरीर की पहचान भी की। अपनी गवाही में उसने कहा कि:

"मैंने पुलिस को बताया कि घटना की तिथि को मैं अपने खेत में था। मैंने अभियुक्तों के आने से पहले बैजनाथ सिंह, रजनाथ सिंह को उनके खेत में देखा। उस समय उनके हाथ में दरांती थी। जब रजनाथ सिंह नाव से कूदा उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। दुधिया गाँव में रजनाथ सिंह का खेत बस्ती से 2-4-10 लगगी की दूरी पर है।"

उसने यह भी कहा कि चिल्लाने के बावजूद पानी के कारण गाँव से कोई नहीं आया। वे लोग भरे हुए पानी में से होकर अपने-अपने खेतों में गए थे।

एक पंचम सिंह की परीक्षा अभियोजन साक्षी-5 के रूप में की गई। वह भी एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था। उसने यह देखने की परिसाक्ष्य दी कि बैजनाथ सिंह पर हमला किया जा रहा था। उसके अनुसार, जब मृतक ने चिल्लाना बंद कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि वह अब जीवित नहीं है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इन साक्षियों की परिसाक्ष्य पर पूर्ण अवलंब रखते हुए अभिमत व्यक्त किया:

"इसलिए, उपर्युक्त की गई चर्चा के आलोक में, मैं पाता हूँ कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पूर्णतः सक्षम एवं विश्वसनीय हैं और उनका साक्ष्य चिकित्सक (अभियोजन साक्षी-6) एवं अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-7) के साक्ष्य के साथ मिलकर यह पूर्णतः स्थापित करता है कि अभिकथित तिथि को सभी अभियुक्त व्यक्ति लाठी, भाला, गंडासा, पिस्तौल से लैस होकर नाव पर सूचक के खेत में आए और सूचक एवं बैजनाथ सिंह को जबरन नाव पर उठाकर ढाब की ओर ले गए और बैजनाथ सिंह पर अपने-अपने हथियारों से हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।"

उच्च न्यायालय ने भी अपने आक्षेपित निर्णय में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की चर्चा की और अभिनिर्धारित किया:

"हम उस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और लिखित प्रतिवेदन एवं सूचक अभियोजन साक्षी-3 सहित सभी साक्षियों की गवाहियों के सावधानीपूर्वक परीक्षण पर हम उन कथनों में कोई असंगति नहीं पाते। लिखित प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि जब सूचक और उसके भाई बैजनाथ सिंह अपने भूखंड पर मसूरिया फसल काट रहे थे, अभियुक्त विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होकर आए और अपने हथियारों से धमकाते हुए उन्हें और उसके भाई को जबरन नाव पर ढाब की ओर ले गए। हम लिखित प्रतिवेदन में इस कथन को इस अर्थ में नहीं पढ़ सकते कि अभियुक्त सूचक और उसके भाई के पास पैदल आए थे और उन्हें पैदल ही ढाब तक ले गए जहाँ प्रतीक्षा कर रही नाव पर वे चढ़े। लिखित प्रतिवेदन में कथन का सावधानीपूर्वक पठन करने पर सीधा अर्थ यह है कि अभियुक्त वहाँ नाव पर आए और जबरन सूचक और उसके भाई को नाव पर उठाकर ढाब की दिशा में ले गए। इस प्रकार हम अभियोजन की कहानी में लिखित प्रतिवेदन में कथित और न्यायालय के समक्ष

साक्षियों द्वारा दी गई गवाही के बीच कोई असंगति, और तो और, कोई विरोधाभास भी नहीं पाते।"

मृत शरीर की पहचान के संबंध में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि मृत शरीर बैजनाथ सिंह का था जिसे अभियोजन साक्षी 3 एवं 4 द्वारा उचित रूप से सिद्ध किया जा चुका है।

इस अवसर पर हम चिकित्सा साक्ष्य की चर्चा करते हैं।

डॉ. शिवनंदन बारुणवाल, जिन्होंने अभियोजन साक्षी-6 के रूप में स्वयं की परीक्षा करवाई, ने शव परीक्षण प्रतिवेदन को सिद्ध किया। उनके सामने रखे गए मृत शरीर की पहचान आरक्षी, रजनाथ सिंह एवं चौकीदार द्वारा बैजनाथ सिंह के रूप में की गई थी। मृतक की आयु 35 वर्ष बताई गई थी। कपड़ों में एक गंजी, धोती और एक छोटी चादर थी। शरीर सड़ी-गली अवस्था में था। मृत्यु-जड़ता अनुपस्थित थी। शरीर पर तीन कटे हुए घाव थे। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि सिर के बाल अक्षुण्ण थे। शव परीक्षण प्रतिवेदन यह नहीं दर्शाता कि चेहरे पर कोई निशान नहीं था अथवा पहचान के चिह्न पूर्णतः अनुपस्थित थे। उनके मत में, मृत्यु हाथों के विच्छेदन के कारण हुई होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मृत शरीर को पानी में फेंका गया था और मुलायम अंगों को मछलियों ने खा लिया था। उनके अनुसार, मृत्यु के पश्चात बीती अवधि का आकलन करना कठिन था। किंतु उनके अनुसार, यह लगभग 10 दिन रहा होगा।

अपीलकर्ताओं ने यह भी नहीं सुझाया कि मृतक में वे विशेष लक्षण नहीं थे जिनके बारे में अभियोजन साक्षी-4 ने स्पष्ट कथन दिया। मृत्यु के समय उसकी आयु भी विवादित नहीं की गई। अन्वेषण अधिकारी राम नरेश शुक्ला (अभियोजन साक्षी-7) ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेट के नीचे का समस्त माँस जानवरों द्वारा खा लिया गया था और मृत शरीर की पहचान चौकीदार राम स्वरूप सिंह, रघुनंदन पासवान, गंगा पासवान एवं बनवारीचक के

कमेश्वर सिंह ने यह कहते हुए की थी कि यह बैजनाथ सिंह का शरीर है। मृतक की आयु भी विवादित नहीं की गई।

यह अब एक सुस्थापित विधि है कि *अपराध के मूल तत्व* को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। मृत शरीर की बरामदगी सावधानी का नियम है, विधि का नहीं। यदि सशक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य विद्यमान हो, तो मृत शरीर की अनुपस्थिति में भी दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जा सकता है। [देखें *रामा नंद एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*, [1981] 1 एस.सी.सी. 511]

*राम गुलाम चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य*, [2001] 8 एस.सी.सी. 311 में, इस न्यायालय ने *रामा नंद* (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय की चर्चा की और अभिमत व्यक्त किया:

"उपर्युक्त निर्धारित विधि के प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता। जैसा कि विभिन्न प्राधिकारियों (उपर्युक्त संदर्भित) में प्रतिपादित किया गया है, हत्या के लिए दोषसिद्धि हेतु *अपराध का मूल तत्व* मिलना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। निस्संदेह, *अपराध के मूल तत्व* की अनुपस्थिति में ऐसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने चाहिए जो इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर ले जाएँ कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और अभियुक्त वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हत्या कारित की....."

इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो आवश्यक था वह अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में उनके विरुद्ध दोष का निष्कर्ष निकालना था। यह ऐसा वाद नहीं है जहाँ मृत शरीर की पहचान नहीं की जा सकती थी। अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई थी।

जहाँ तक श्री मिश्रा के इस तर्क का संबंध है कि कुछ स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई, अभिलेख से यह प्रतीत होगा कि सरकारी अभियोजक ने विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ साक्षी सूचक के प्रति शत्रुभाव रखते थे। अपीलकर्ता यह

दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं ला सके कि अभियोजन द्वारा ली गई उपर्युक्त स्थिति सही नहीं थी। यह सत्य है कि सामान्यतः अभियोजन को उन सभी साक्षियों की परीक्षा करनी चाहिए जिनके नाम आरोप पत्र में प्रकट किए गए हों; किंतु इसे सार्वभौमिक प्रयोग का नियम नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वाद पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

यह अब सुस्थापित है कि अभियोजन के वाद को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक है वह साक्ष्य की मात्रा नहीं अपितु गुणवत्ता है। न्यायालय समाज में मूल्य प्रणाली में हुए परिवर्तनों की अनदेखी नहीं कर सकता। जब कोई अपराध भूमि विवाद के कारण किसी गाँव में कारित होता है, तो स्वतंत्र साक्षी आगे नहीं आते।

*शीलम रमेश एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*, [1999] 8 एस.सी.सी. 369 में, इस न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया:

"..... न्यायालयों को साक्ष्य की गुणवत्ता से सरोकार है, मात्रा से नहीं और आपराधिक विचारण में किसी साक्षी के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि वह विश्वास उत्पन्न करती हो।"

पुनः *पोहलू बनाम हरियाणा राज्य*, [2005] 10 एस.सी.सी. 196 में, इस न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया:

"..... यह सत्य है कि यदि अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर निर्भर करना पसंद करता है, जिसे वह अभियोजन के वाद को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मानता है, तो उसके लिए साक्षियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक नहीं है। तथापि, अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की परिसाक्ष्य का आंतरिक मूल्य न्यायालय द्वारा आँका जाना चाहिए। यदि उनका साक्ष्य सत्यपूर्ण, विश्वसनीय और स्वीकार्य प्रतीत

होता है, तो मात्र यह तथ्य कि कुछ अन्य साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई, अभियोजन के वाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा....."

*बलराम सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [2003] 11 एस.सी.सी. 286 में, इस न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया:

"अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि अभियोजन ने केवल अभियोजन साक्षी 1 एवं 2 के हितबद्ध साक्ष्य पर निर्भरता की है और उन अन्य स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं की है जो उपस्थित थे अथवा उस मामले में मृतक के एक अन्य पुत्र जसबीर सिंह की अपरीक्षा से प्रतिकूल अनुमान लगाया जाना चाहिए, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जसबीर सिंह के संबंध में, यद्यपि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ सामग्री है कि उसकी घटना की रात एक चिकित्सक द्वारा जाँच की गई थी, किंतु यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह वास्तव में इस लड़ाई में शामिल था। उसका नाम प्राथमिकी में भी उल्लिखित नहीं है, इसलिए यदि अभियोजन ने उक्त साक्षी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा, तो हमें नहीं लगता कि उक्त जसबीर सिंह की अपरीक्षा के आधार पर प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। हमारा यह विचार उन कथित अन्य स्वतंत्र साक्षियों के संबंध में भी लागू होता है जो घटना के समय उपस्थित थे क्योंकि इस प्रकार के पारिवारिक कलह में यह दुर्लभ है कि कोई स्वतंत्र साक्षी साक्ष्य देने के लिए आगे आएगा।"

पुनः *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह*, [1988] अनुपूरक एस.सी.सी. 686 में, यह अवलोकित किया गया:

"हाल ही में इस न्यायालय को दोषमुक्तियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में अपीलें प्राप्त हो रही हैं और अधिकांश मामलों में, अभियोजन के संस्करण को या तो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पुष्टि के अभाव में, या साक्षियों द्वारा कहे गए कुछ असत्य अथवा जोड़े गए

अलंकरण के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। कुछ मामलों में, समस्त अभियोजन का वाद घटना के सभी साक्षियों की परीक्षा न करने के कारण संदिग्ध किया जाता है। हमने हाल ही में अपराधों की अन्वेषण में जन-सामान्य के उदासीन रवैये की ओर संकेत किया है। जन-सामान्य सामान्यतः न्यायालय के सामने बयान देने के लिए आगे आने में संकोच करते हैं। इसलिए, अभियोजन के संस्करण को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना सही नहीं है कि घटना के सभी साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई। न ही यह उचित है कि यदि जैसा बनाया गया वाद अन्यथा सत्य और स्वीकार्य है तो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पुष्टि के अभाव में वाद को अस्वीकार किया जाए।"

*हबीब मोहम्मद* (उपरोक्त) में, जिस पर श्री मिश्रा ने दृढ़ता से अवलंब लिया है, इस न्यायालय ने कहा कि अभियोजन संख्या या विश्वसनीयता के विचार से परे सभी उपलब्ध साक्षियों को बुलाने के लिए बाध्य नहीं था, अभियोजन के जिस आख्यान पर वह आधारित था, उसके प्रकटीकरण के लिए आवश्यक साक्षियों को अभियोजन द्वारा बुलाया जाना चाहिए, चाहे परिणामस्वरूप उनकी परिसाक्ष्य का प्रभाव अभियोजन के वाद के विरुद्ध हो।

तथापि, उस वाद में वहाँ का अपीलकर्ता एक सूबेदार था। उसके विरुद्ध आरोप था कि उसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। उप पुलिस आयुक्त, जो अपीलकर्ता के साथ था और जिसने घटना देखी थी, की अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं की गई थी। उस तथ्यात्मक स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन को उक्त साक्षी की परीक्षा करनी चाहिए थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस मामले की परिस्थितियों में उक्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों की परीक्षा न करने के अभियोजन के लोप के कारण अपीलकर्ता को काफी हद तक क्षति पहुँची और पुलिस जमादार की परिसाक्ष्य पर मात्र आधारित अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह उचित विचारण के पश्चात् की गई,

विशेषकर जब इस लोप के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया या प्रयास भी नहीं किया गया।

*सहज राम* (उपरोक्त) में, जिस पर श्री मिश्रा ने पुनः अवलंब लिया, एक दलगत प्रतिद्वंद्विता थी। उस वाद में, न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना में सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय द्वारा की गई गंभीर भूलें पाईं। वाद की विचित्र प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए और इस तथ्य के कारण कि दलगत प्रतिद्वंद्विता थी, यह अभिमत व्यक्त किया गया:

"..... जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य* में इंगित किया गया, यद्यपि अभियोजन संख्या या विश्वसनीयता के विचारों से परे सभी उपलब्ध साक्षियों को बुलाने के लिए बाध्य नहीं है, अभियोजन के जिस आख्यान पर वह आधारित है, उसके प्रकटीकरण के लिए आवश्यक साक्षियों को अभियोजन द्वारा बुलाया जाना चाहिए, चाहे परिणामस्वरूप उनकी परिसाक्ष्य का प्रभाव अभियोजन के वाद के पक्ष में हो या विरुद्ध। इस न्यायालय ने न्यायिक समिति के *स्टीफन सेनेविरत्रे बनाम किंग* में एक समान प्रस्ताव प्रतिपादित करने वाले निर्णय को अनुमोदित किया। इस वाद में प्राथमिकी स्पष्ट रूप से कहती है कि शिताबी, न्यायालय साक्षी-1, मृतक का कर्मचारी था और वह घटना के समय अपने मालिक के साथ था। उसने अभियोजन साक्षी-1 और अन्य को घटना के बारे में सूचना भी दी थी। राम प्रसाद की परीक्षा न करने के लिए चाहे जो भी औचित्य रहा हो, हमारे विचार में अभियोजन शिताबी को रोकने के लिए न्यायोचित नहीं था....."

*लक्ष्मी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, [2002] 7 एस.सी.सी. 198 में, इस न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया:

"निस्संदेह, शव की पहचान, मृत्यु का कारण एवं उस हथियार की बरामदगी जिससे मृतक को उपहति कारित की गई होगी, वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो अभियोजन

द्वारा एक साधारण दिए गए वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का आरोप स्थापित करने के लिए स्थापित किए जाने चाहिए। तथापि यह कोई अनमनीय नियम नहीं है। यह विधि के सामान्य एवं व्यापक प्रस्ताव के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि जहाँ ये पहलू स्थापित नहीं हैं, यह अभियोजन के वाद के लिए घातक होगा और सभी मामलों एवं आकस्मिकताओं में इसके परिणामस्वरूप हत्या के अपराध से आरोपित व्यक्तियों को दोषमुक्ति मिलनी चाहिए। यह प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का आरोप शव की पहचान और मृत्यु के कारण की अनुपस्थिति में भी स्थापित हो सकता है।"

तथापि इस वाद में, अभियोजन द्वारा परीक्षित कुछ साक्षी स्वतंत्र हैं। सभी साक्षियों का साक्ष्य कमोबेश सुसंगत है। उनकी परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कुछ भी इंगित नहीं किया गया। इसलिए विद्वान सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उक्त साक्षियों की परिसाक्ष्य पर निर्भर करने में कोई भूल की।

यह तर्क उठाया गया था कि शव परीक्षण शल्यचिकित्सक ने अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु शव परीक्षण से 10 दिन पूर्व हुई होगी और उस दृष्टिकोण से अभियोजन का वाद अविश्वसनीय होना चाहिए। कथित रूप से हत्या एक नाव पर हुई। मृत शरीर को पानी में फेंका गया। यह पाँच दिन से अधिक समय तक पानी में रहा। मृत्यु-जड़ता अनुपस्थित थी और शरीर पूर्णतः सड़ा-गला था। शरीर के कुछ अंगों के मुलायम ऊतकों को मछलियों ने खा लिया था।

चिकित्सा विज्ञान ने इतनी परिपूर्णता प्राप्त नहीं की है कि किसी चिकित्सा व्यवसायी को मृत्यु के सटीक समय के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन करने में समर्थ बना सके। इस तरह के वाद में, मृत्यु के सटीक समय का अभिनिर्धारण करना कठिन था। शव परीक्षण

शल्यचिकित्सक ने शव परीक्षण की तिथि और मृत्यु की संभावित तिथि के बीच अनुमानित समयांतर के बारे में बताया। उन्होंने अपनी राय पर पहुँचने का आधार स्पष्ट नहीं किया।

इस न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह चर्चा की है कि किसी चिकित्सक के लिए मृत्यु के सटीक समय का अभिनिर्धारण करना संभव नहीं हो सकता।

*रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 3 स्केल 452* में, इस न्यायालय ने अवलोकित किया:

"इस वाद में, विभिन्न साक्षियों द्वारा दिए गए विभिन्न कथनों को देखते हुए वास्तविक अपराध के समय का कुछ महत्व हो सकता है क्योंकि वे आधारों में से एक जिन पर उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि का निर्णय आधारित किया है, डॉ. पी. वेंकटेश्वरलु (अभियोजन साक्षी-13) द्वारा प्रदत्त राय के आधार पर मृतक की मृत्यु का समय है।

मोदी की चिकित्सा न्यायशास्त्र, 22 वें संस्करण में, मृत्यु-जड़ता की अवधि के संबंध में कहा गया है:

		"औसत		न्यूनतम		अधिकतम	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट
मृत्यु	की						
कठोरता	की	19	12	3	0	40	0"
अवधि							

इसलिए, मृतक की मृत्यु के सटीक समय का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था, और तब तो और भी अधिक जब शव परीक्षण प्रतिवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिए गए थे।"

श्री मिश्रा का यह भी तर्क है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं के वैयक्तिक प्रकट कृत्यों के बारे में चर्चा नहीं की। अभियोजन साक्षियों ने संपूर्ण घटना के बारे में स्पष्ट कथन किया। घटना एक नाव पर हुई। नाव पर जबरन बैठाए गए दो व्यक्तियों में से, अभियोजन साक्षी-3 भाग निकलने में सफल हुआ। चौदह अभियुक्त व्यक्ति थे। उन्होंने उस पर उपहतियाँ कारित की थीं। शव परीक्षण से पता चलता है कि धारदार काटने वाले हथियारों का प्रयोग किया गया था। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, दो अभियुक्त व्यक्तियों के पास काटने वाले कुछ हथियार थे। अपीलकर्ता एक समूह में आए। उनमें से कुछ ने अपने हाथों में हथियार लेकर मृतक पर हमला करना शुरू किया। इस तरह के वाद में, प्रथम सूचक के लिए यह लगभग असंभव था कि वह प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए सटीक प्रकट कृत्यों का अभिनिर्धारण कर सके।

इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 इस तरह के वाद में स्पष्टतः आकृष्ट होती है।

*बिष्णा उर्फ भिस्वादेब महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, [2005] 12 एस.सी.सी. 657 में एक हालिया निर्णय में, विधि को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया गया है:

"धारा 149 और/अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को आकृष्ट करने के प्रयोजन से, अभियुक्त के भाग पर कोई विशिष्ट प्रकट कृत्य आवश्यक नहीं है। वह प्रतीक्षा कर सकता है और देख सकता है और किसी अभियुक्त के भाग पर निष्क्रियता कभी-कभी यह अभिनिर्धारित करने में बहुत आगे तक जा सकती है कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय साझा करता था।"

उपर्युक्त कारणों से, हम इस मत के हैं कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप के लिए कोई वाद नहीं बनाया गया है। अपील खारिज की जाती है।

वी.एस.एस.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।